

सस्ती चीनी

(SUGAR)

संकल्प – झारखंड सरकार का

योजना केंद्र सरकार की

- बीपीएल को मात्र 13.50 रुपये में चीनी देने की योजना
- केंद्र सरकार प्रति किलो चीनी पर 18.00 रुपये प्रतिपूर्ति देगी
- झारखंड सरकार पर प्रति किलो मात्र छह रुपये का भार आयेगा
- झारखंड के लिए 6948 टन प्रतिमाह का कोटा
- वित्त 2014-15 के बजट में इसके लिए 50.387 करोड़ का प्रावधान
- अनुपूरक बजट में भी 53.103 करोड़ की स्वीकृति
- कैबिनेट की मंजूरी है, सरकार का संकल्प भी जारी
- टेंडर को विधि विभाग से मंजूरी मिल चुकी है
- वेटिंग के लिए टेंडर को वित्त विभाग में भेजा गया है
- एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सस्ती चीनी वितरण का निर्देश दिया है।
- अभी तत्काल टेंडर जारी हो, तब भी मात्र एक महीने यानी मार्च 2015 में गरीबों को सस्ती चीनी मिल सकेगी।
- लेकिन कम-से-कम एक माह तो इस योजना का लाभ मिल सके गरीबों को, वरना केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार के संकल्प का क्या मतलब?

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

विषय - वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य में जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवारों (अतिरिक्त बी०पी०एल० एवं अन्त्योदय परिवार सहित) को चीनी वितरण योजना की स्वीकृति।

भारत सरकार, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य के बी०पी०एल० परिवारों (अतिरिक्त बी०पी०एल० एवं अन्त्योदय परिवार सहित) जिनकी कुल संख्या 35,09,833 के लिए चीनी की आपूर्ति हेतु दिशानिर्देश जारी की गयी है।

2. भारत सरकार, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र संख्या- No.19(2)/2013-SP.I दिनांक 17.5.2013 राज्य के लिये भारत सरकार द्वारा मासिक कोटा 6948 टन निर्धारित की गई है। जिसमें प्रति परिवार लगभग 2 (दो) किलोग्राम चीनी जन वितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से दी जा सकेगी। वर्ष में एक बार त्योहार कोटा भी 2551 टन निर्धारित की गयी है। भारत सरकार द्वारा रुपये 18.50 प्रति किलोग्राम की दर से राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। सभी राज्यों को प्रत्येक माह चीनी की आपूर्ति किये जाने हेतु आपूर्तिकर्ता फर्म का चयन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत करना है।

3. भारत सरकार, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र संख्या No.19(2)/2013-SP.I दिनांक 17.5.2013 जिसकी कॉडिका-2 में The Government of India would provide subsidy @ 18.50 per kg at FPS level for the Financial years 2013-14 and 2014-15. It is again clarified that the reimbursement by the Central Government will be limited to the quantity based on the existing level of allocations. उल्लेखित है। उक्त पत्र के साथ संलग्न गाईडलाइंस में स्पष्ट रूप से कॉडिका-3 में अंकित है कि The States/UTs which distribute sugar (confirming to ISS grade) under the public Distribution System (PDS) at the Retail Issue Price of not more than Rs. 13.50 per Kg will be reimbursed the subsidy/UTs and @ Rs. 18.50 per Kg (including all administrative, transportation, distribution and other expenses), based on the actual utilization/ distribution of sugar under PDS.

4. राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त है:-
- (i) लची चीनी का वितरण सही लाभुकों को प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था प्रशासी विभाग सुनिश्चित करेगा।
 - (ii) भारत सरकार से प्राप्त किये जाने वाली प्रतिपूर्ति की राशि ससमय प्राप्त किये जाने हेतु प्रशासी विभाग समयबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा।
 - (iii) इस विषय से संबंधित सचिका में वित्त विभाग द्वारा उठाये गए बिन्दुओं का निराकरण प्रशासी विभाग सुनिश्चित कर लेगा।
 - (iv) भविष्य में इस तरह की योजनाओं में राज्य खाद्य निगम को शामिल कराव।

5. वित्त विभाग की स्वीकृति निम्नलिखित परामर्श के साथ प्राप्त है —
- लाभुक से प्राप्त होने वाली राशि, जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा अभिम जमा करायी जाय।
 - राज्य सरकार के पास रुपये 50.387 करोड़ की राशि रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में झारखंड राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लि०, रांची को उपलब्ध करायी जाय।
 - इस व्यवस्था में शादी/श्राद्ध एवं अन्य किसी भी तरीके का आवंटन/कटौती अनुमान्य नहीं होगा। पी.डी.एस. वितरण को छोड़कर कोई परगीट किसी स्तर पर देय नहीं होगा।

6. वर्तमान में कृषि उत्पादन बाजार समिति, रांची से प्राप्त दर के आधार पर चीनी का मूल्य आकलित की गई है। चीनी का बाजार मूल्य रुपये 35.00 प्रति किलोग्राम मानते हुये चीनी खुले बाजार से क्रय करने में लगभग 35 + (3.07 रुपये प्रति किलोग्राम परिवहन, हथालन, प्रशासनिक व्यय) कुल संभावित मूल्य लगभग प्रति किलोग्राम 38.07 रुपये आकलित किया गया है, जिसमें से प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य 13.50 रु लाभुक से लिया जाना है। इस प्रकार राज्य को लगभग 38.07 - 13.50 = रुपये 24.57 प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह दो किलोग्राम सभी बी०पी०एल० परिवारों को 02 किलोग्राम चीनी वितरण करने पर कुल 206.97 करोड़ रुपये व्यय प्रति वर्ष करना होगा।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में माह अक्टूबर से माह मार्च 2015 तक कुल संभावित व्यय 103.49 करोड़ रु की स्वीकृति प्राप्त है।

7. चीनी वितरण योजना अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति प्रति किलोग्राम रु 18.50 की जायेगी एवं लाभुकों से प्रतिकिलोग्राम रु 13.50 प्राप्त किया जायेगा। अर्थात् चीनी वितरण योजना के लिए कुल रु 32/- प्रतिकिलोग्राम सरकार के कोष पर योजना के प्रारंभ होने के लगातार दो वित्तीय वर्षों तक पड़ेगा। केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होने पर राजकोष पर प्रतिकिलोग्राम रु 6.07 की दर से प्रतिवर्ष लगभग 51.14 करोड़ रु व्यय भार पड़ेगा।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में (माह अक्टूबर से माह मार्च तक) राजकोष पर कुल 25.57 करोड़ रु व्यय भार पड़ेगा।

8. झारखंड राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लि० को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्न आयुक्त की अध्यक्षता में निम्न प्रकार कमिटी गठन किया जायेगा :-

| क्र० | पदनाम एवं विभाग का नाम | |
|------|--|------------|
| 1 | विकास आयुक्त, झारखंड | अध्यक्ष |
| 2 | प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग | सदस्य |
| 3 | प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 4 | प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | सदस्य |
| 5 | प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग | सदस्य सचिव |
| 6 | पंच निदेशक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लि० | सदस्य |

9. चीनी वितरण योजना के अन्तर्गत आपूर्तिकर्ता का व्यय खुली निविदा के माध्यम से प्रत्येक वर्ष किया जायेगा। अगले वित्तीय वर्ष तक झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लि० चीनी के उठाव के लिए सक्षम हो जाने पर चीनी का उठाव सुनिश्चित करेगा।

10. भारत सरकार द्वारा चीनी की प्रतिपूर्ति 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार के निर्देश के अनुरूप अंकेक्षण ससमय और त्रुटिरहित सुनिश्चित करने हेतु प्रशासी विमान एक व्यवस्था कायम करेगी। विशेष रूप से अंकेक्षण दल से अंकेक्षण ससमय पूर्ण कराने एवं प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के लिए प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लि० पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

11. यह प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा अंकेक्षित लेखा विवरणी भारत सरकार को समर्पित करने के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से राशि उपलब्ध कराया जायेगा। प्रतिपूर्ति किये जाने वाली राशि प्राप्त करने के लिए विभिन्न चरणों में प्रक्रिया की जाती है एवं इसमें समय लगने की संभावना बनी रहती है। चीनी वितरण योजना के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु रांभावित राशि का आकलन कर विभाग के योजना बजट में उपबंधित किया जायेगा।

12. भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी का उठाव नहीं किया जाता है। झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड इतनी सक्षम नहीं है कि वह प्रत्येक माह गहाराष्ट्र/उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों से चीनी का उठाव कर राज्य में विभिन्न जिलों तक पहुंचा सके। ऐसी स्थिति में चीनी मिलों से राज्य के सभी जिलों में प्रत्येक माह चीनी लाने के लिए एक वकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था राज्य स्तरीय निविदा के आधार पर आपूर्तिकर्ता का व्यय किया जायेगा।

13. निविदा दरतावेज पर सिद्धि एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।

14. राज्य स्तरीय निविदा समिति निम्न प्रकार से होगी :-

| क्र० | पदनाम एवं विभाग का नाम | |
|------|--|---------------|
| 1. | प्रधान सचिव/सचिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों विभाग, | अध्यक्ष |
| 2. | विशेष सचिव/रायुक्त सचिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों विभाग, | सदस्य सचिव |
| 3. | प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लि०, | सदस्य |
| 4. | निर्देशक, उद्योग विभाग, झारखण्ड, | सदस्य |
| 5. | वित्त विभाग के प्रतिनिधि, | सदस्य |
| 6. | मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के प्रतिनिधि, | सदस्य |

15. आपूर्तिकर्ता द्वारा जिलों/प्रखण्डों में अवस्थित राज्य खाद्य निगम के गोदामों में चीनी की आपूर्ति की जायेगी जहाँ से डार स्टैप क्लेवरों के माध्यम से जन वितरण पन्नासी दुकानदारों को चीनी आपूर्ति की जायेगी। इस प्रकार चीनी का अंतिम मूल्य निविदा से प्राप्त दर के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

16. आपूर्ति की गई चीनी के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी से आपूर्ति रसीद प्राप्त हो जाने पर जाँचोपरान्त विभाग द्वारा भुगतान रिवॉल्विंग फंड से करने हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लि० रांची को निर्देशित किया जायेगा।

17. राज्य में वीनी का वितरण वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट शीर्ष मांग संख्या-18-मुख्यशीर्ष-3456-सिविल पूर्ति- लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना-102-सिविल पूर्ति योजना-789-अनुसूचित जातियों के विशेष अंगीभूत उपयोजना-उपशीर्ष-38-बी०पी०एल० परिवारों चीनी वितरण योजना-03-प्रशासनिक व्यय-23 आपूर्ति एवं सामग्री में किये गये उपबंधित राशि रु0 50.387 करोड़ व्यय की स्वीकृति प्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में माह अक्टूबर, 2014 से मार्च 2015 तक कुल माह-6(छः माह) चीनी वितरण करने पर कुल संभावित व्यय 103.49 करोड़ रु0 व्यय की स्वीकृति प्राप्त है, जिसे रिवाँल्विंग फंड के रूप में झारखण्ड राज्य खाद्य असैनिक आपूर्ति निगम लि०, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः शेष निधि लगभग 53.103 करोड़ रु0 की राशि का उपबंध अनुपूर्क आगणन, झारखण्ड आकस्मिता निधि से प्राप्त कर निगम को रिवाँल्विंग फंड के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्राप्त है।

18. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू हो जाने पर वीनी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अर्द्धादित सभी लाभुकों को वितरित किया जायेगा।

19. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(डॉ० प्रदीप कुमार),
सरकार के सचिव।

ज्ञापक— खा०बज०लेवी चीनी-36/2012

/राँची, दिनांक—

प्रतिलिपि— सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके ए-गजट के रूप में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड को सूचना उपलब्ध करावे।

ह०/—

सरकार के सचिव।

ज्ञापक— खा०बज०लेवी चीनी-36/2012

/राँची, दिनांक—

प्रतिलिपि— महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के सचिव।